संख्याः-17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30अप्रैल, 2019

विषयः सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना ।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते है। इन प्रस्तावो में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोडे जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0 ।

3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।

4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

शासनादेश संख्याः 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांकः30 अप्रैल,का संलग्नक

1- वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	
(2) पदनाम एवं वेतनमान	
(3) कार्यालय/ विभाग	
(4) जन्म तिथि	
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	
(8) अधिवर्षता की तिथि	
2- पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	
(10) पदनाम एवं वेतनमान	
(11) कार्यालय / विभाग का नाम	
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(14) कार्यभार छोडने की तिथि	
(15) क्या पूर्व की सेवायें पेंशनेबल थी	
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीज़नल/ नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां,तो विवरण दिया जायें। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां,तो विवरण दिया जाये।	
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां,तो -	
(I)व्यवधानों की अवधि तिथि सहित ।	
(II)व्यवधान का कारण	
(III)क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां,तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां,तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये	
3- विभाग की संस्तुति	

हस्ताक्षर :------------------------------------ -------------

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है I
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

सेवा जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची -

1-	उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद -	
(1)	अनुच्छेद -361	अर्हकारी सेवा की शर्तें
(2)	अनुच्छेद -368	अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता
(3)	अनुच्छेद -370	कार्यप्रभारित अधिष्ठानए कन्टिन्जेन्सी से भुगतानित सेवाओं एवं नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अर्हकारी सेवाओं में न जोड़ा जाना
(4)	अनुच्छेद -422	सेवाओं में व्यवधानों का मर्षण
2-	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	
(1)	सा-3-1152/दस-915-89 दिनांक 01.07.1989	अस्थायी सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना
(2)	सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक 28.07.1989	सामान्य दिशा निर्देश
(3)	सा-3-728/दस-98-901-98 दिनांक 10.07.1998	राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण
(4)	सा-3-1984/दस-2001-901-98 दिनांक 28.12.2001	सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना ।
(5)	सा-3-950/दस-2006-901/98 दिनांक 20.07.2006	राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है